

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बीकानेर में नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) के कनिष्ठ लेखाकार एवं कैशियर 70 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 09 फरवरी, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गणेश कलवानी कनिष्ठ लेखाकार एवं मनीष खत्री कैशियर, नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.), बीकानेर को परिवारी से 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बीकानेर इकाई को परिवारी द्वारा शिकायत दी गई कि नगर विकास न्यास के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों के लगभग 18 लाख 75 हजार रुपये के बकाया बिलों को पास करने की एवज में उपर्युक्त आरोपी कर्मचारीगण द्वारा 70 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के सुपरवीजन में एसीबी बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द मिश्रा द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी कर्मचारीगण को परिवारी से 70 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **हैल्पलाईन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।